कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं0–सम्पदा / आवा0आवं0-वरीयता सूची / 21-22/ C-99 दिनांक: 30 .06.2021

कार्यालय आदेश

आर. ब्लॉक आवासीय परिसर

वर्ष 2021 (पूरक) में आर. ब्लॉक स्थित टाईप II तथा टाईप IV सरकारी आवास प्राप्त करने के इच्छुक (i) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना (ii) महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो टाइप II तथा टाईप IV सरकारी आवास के पात्र हैं, आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

(i) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना एवं (ii) प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना के अधिकारी / कर्मचारी सुस्पष्ट आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने शाखा अधिकारी को समर्पित करेंगे, जिसे संबंधित शाखा अधिकारी (पूर्ण रूप से भरे आवेदनों को) अपने स्तर से सूचना का सत्यापन कर एक साथ सभी आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2021 तक संपदा अनुभाग में समर्पित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना, AMG-V (LB) एवं निदेशक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना के अधिकारी/ कर्मचारी आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने ही कार्यालय को समर्पित करेंगे। उपरोक्त कार्यालय अपने स्तर से पूर्ण रूप से भरे सुस्पष्ट आवेदन पत्रों को नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि, वर्तमान परिलब्धियाँ, ग्रेड वेतन (Pre-revised), वरीयता तथा गृह निर्माण हेतु लिए गए अग्रिम की सूचना का सत्यापन कर इस कार्यालय को दिनांक 09.07.2021 तक अग्रसारित करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त/अग्रसारित आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जाएगा।

वैसे अधिकारी / कर्मचारी जो नियुक्ति या स्थानांतरण के बाद अपना योगदान पटना कार्यालय में देते हैं, वे योगदान की तिथि से एक माह के अंदर आवेदन दे सकते हैं। किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाने, गलत विवरण प्रस्तुत करने या एक से अधिक आवेदन जमा करने की स्थिति में आवेदन रदद् किया जा सकता है, साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

ह0/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

ज्ञापांक:– संपदा–आवास– आवं0– वरीयता सूची–2021-22/ दिनांक: .06.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के सचिव ।

2. सभी स्कंध अधिकारी ।

3. व0ले0अ0 (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना, व0ले0प0अ0 (प्रशासन) (A.M.G-V) एवं व0ले0प0अ0/केन्द्रीय प्रक्षेत्र।

4. व.ले.प.अ./मुख्यालय (AMG-I, AMG-II, AMG-III, AMG-IV, AMG-V एवं आर्थिक प्रक्षेत्र (वाणिज्यिक) - से अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्र मे पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आदेश का परिचालन करवाना सुनिश्चित करें।

5. व0ले0प0अ0 / AMS- से अनुरोध है कि कार्यालय के बेबसाइट पर कार्यालय आदेश को प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

6. सभी व0ले0प0अ0/ले0प0अ0

7. सूचना पट्ट

30/6/2021

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी / संपदा